उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग
संख्या-743/ 4409/41-2021-29(बजट)/2020,
लखनऊ:: दिनांक 28 दिसम्बर, 2021

शुद्धि-पत्र

जनपद गोण्डा के विधानसभा क्षेत्र तरबगंज अन्तर्गत परासर मुनि आश्रम, परास पट्टी, मझवार के जीर्णोद्धार एवं पर्यटन विकास हेतु जारी शासनादेश संख्या-599/2021/3093/41-2021-29(बजट)/2020, दिनांक 03 नवम्बर, 2021 के पृष्ठांकन सं0-04 में अंकित मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, अयोध्या एवं पृष्ठांकन सं0-10 में अंकित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, अयोध्या के स्थान पर उपनिदेशक, पर्यटन/आहरण वितरण अधिकारी, अयोध्या अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 03 नवम्बर, 2021 संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, गोण्डा।
4. मुख्य कोषाधिकारी, अयोध्या।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, गोण्डा।
6. उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-2, गोण्डा ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10. उपनिदेशक, पर्यटन/आहरण वितरण अधिकारी, अयोध्या।
11. वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
13. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in